


Form No. III

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी (मुकाम) मारवाड़ जंक्शन

पत्रावली पती भूराक बनाम नारायण लाल पत्र पत्रावली वगैरे

किस्म मुकदमा राजस्व दरखास्त 151, 212

नं. 124 सन् 2018 2018

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिसिल्स जज	नम्बर या तारीख अहकाम जो इस हुकम का तामिल में जारी हुए
6-7-19	<p>वकील प्रार्थी उपस्थित । वकील प्रार्थी द्वारा एक राजस्व दरखास्त विरुद्ध अप्रार्थीगण के अन्तर्गत 151/212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम1955 के तहत पेश कि गई जो दर्ज रजिस्ट्रर हो। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया जाकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 23/08/18 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  उपखण्ड अधिकारी मारवाड़ जंक्शन </p>	
23/8/18	<p>पत्रावली आज पेश हुई। वकील वारी 290/ वकील वारी व द्वारा प्रस्तुत P/F सम्मन प्रतिवादी संख्या 1, 2, 5, 6, 7/3, 7/4, 7/5, 8 का नाम अथवा पता सही नहीं पाये जाने के कारण अहम तामिल लेते हैं। वकील वारी को विदापत दी जाती है कि प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7/3, 7/4, 7/5, 8, 9, 11, 12 तथा 13 के सही नाम तथा पते मय P/F सम्मन आगामी सात दिवस के अंतर पेश करें। प्रतिवादी संख्या 7/1, 7/2 तथा 10 के द्वारा P/F सम्मन लेते हैं इन्कार करें</p>	

तारीख
हुक्मा

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर या तारीख
अहकाम जो इस
का तामिल में जारी

हेतु सात दिवस का अंतिम अवसर दिया जाता है। पेश नहीं करने पर अंतिम कार्यवाही प्रमल में ली जायेगी। पतावली वाले इत्यादि लखी आदेश दिनांक 14/11/19 को पेश हो।

सहायक कलेक्टर
मार्वाड जंक्शन

14/11/19

पतावली आज पेश हुई। वकील/वारी को दिनांक 14/11/19 को निर्दिष्ट किया गया था कि अंतिम अवसर भी दिया गया कि वे शीघ्र अपावर्जित के लिये नकल पता मय PIF लम्पन पेश करें किंतु आदिनांक तक पेश नहीं किये गए हैं। वकील/वारी को आदेशित में सात दिनों का अवसर अंतिम अवसर बावत PIF लम्पन पेश का दिया जाता है। पेश नहीं होने पर अदालत O-G-R-5 में कार्यवाही की जायेगी। पतावली आदेश दिनांक 22/11/19 को पेश हो।

सहायक कलेक्टर
मार्वाड जंक्शन

22/11/19

पतावली आज पेश हुई। वकील/वारी को शीघ्र अपावर्जित के PIF लम्पन पेश करने हेतु आदेशित लम्पन दिया जा चुका है किंतु आदिनांक तक PIF लम्पन पेश नहीं किये गए हैं। अदालत में दिनांक 14/11/19 को सात दिनों का अवसर अंतिम अवसर बावत PIF लम्पन पेश करने हेतु दिया जा चुका है किंतु आदिनांक तक PIF लम्पन पेश नहीं किये गए। अतः अदालत अदालत को PIF लम्पन पेश करने के अभाव में अदालत O-G-R-5 CPC के तहत खारीज किया जाता है। मिसल के लिये शमशेर होकर नम्बर ले कम हो। निर्णय आज दिनांक 22/11/19 को युक्त मामला में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर

